अपराध के बाद राजनीति में भाग्य आजमाना चाहता था राजू ठेहट

आगामी विधानसभा चुनाव की दातारामगढ़ से तैयारी कर रहा था

- दांतारामगढ़ के लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट डालकर त्योहारों की बधाई देता था।
- राजू ठेहट सीकर के बाद जयपुर में भी अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता था। इसी मकसद से उसने जयपुर को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया था।

जयपुर। सीकर में शनिवार को गैंगवार में मारे गए गैंगस्टर राजू ठेहट अपराध की दुनिया से बाहर आकर राजनीति में आना चाहता था। इसके लिए वह आगामी विधानसभा चुनाव की दातारामगढ़ से तैयारी कर रहा था।

गैंगस्टर राजू ठेहट अपराध जगत के बाद राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहता था। वह आने वाले समय में दातारामगढ़ से चुनाव जीतकर विधायक बनना चाहता था। हालांकि इससे पहले ही वह गैंगवार में मारा गया। राजू ठेहट जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद सीकर जिले से ही राजनीति में सक्रिय हो गया था। वह लगातार दांतारामगढ़ के लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट डालकर त्योहारों की बधाई देता था। सोशल मीडिया पर उसने कुछ राजनेताओं के साथ फोटो शेयर कर रखी थी। फेसबुक पेज पर राजू ठेहट के करीब 50 हजार से ज्यादा फॉलोवर थे। हालाकि उसकी सोशल मीडिया पोस्ट में कहीं पर भी किसी पार्टी का जिक्र नहीं हैं। राजू ठेहट दांतारामगढ़ क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहकर लोगों के बीच जाता था। जनता के बीच संपर्क साधने की कोशिश लगातार जारी थी। उसने अपना आखिरी फेसबुक पोस्ट 29 अक्टूबर को किया था। जिसमें उसने इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी फेसबुक पर शेयर की थी। वहीं, उससे पहले दशहरे की बधाई देते हुए पोस्ट 5 अक्टूबर को की गई थी।

वहीं दूसरी ओर राजू ठेहट सीकर के बाद जयपुर में भी अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता था। इसी मकसद से उसने जयपुर को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया था। महेश नगर थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसे स्वेज फार्म में जिस मकान से पकड़ा, उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जयपुर जेल में बंद रहने के दौरान अपनी गैंग को बढ़ाने के मकसद से जयपुर में भी अपना ठिकाना बनाया। यहां विवादित जमीनों और सट्टा कारोबारियों पर उसकी नजरें थी। जेल से बाहर आने के बाद वह वापस सीकर शिफ्ट हो गया था। राजू ठेहट लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन था। वह महंगी कार और बाइक पर काफिले के साथ घूमता है। गैंगस्टर राजू ठेहट को सीकर बॉस के नाम से बुलाया जाने लगा था। लोगों में सक्रिय रहने के लिए वह रील बनाकर सोशल मीडिया पर भी डालता रहता था। राजू ठेहट जयपुर स्थित अपने ठिकाने पर कई बार घूमते नजर आया है। कभी अकेले बाइक राइडिंग तो कभी नई लग्जरी कार राइड करते हुए वीडियो शूट किए। अपने गनमैन और कारों के काफिले के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हैं। नौ महीने पहले जयपुर में पुलिस ने ठेहट के साथ उसके चार साथियों को भी पकड़ा था। जिसमें उसके तीन गनमैन और एक रसोइया भी थे।

गौरतलब है कि राजस्थान में गैंगस्टर्स आनंदपाल सिंह और राजू ठेहट में करीब दो दशक से वर्चस्व की लड़ाई चली थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजू ठेहट का वर्चस्व हो गया। जेल में बंद होने के दौरान भी उसके फिरौती मांगकर संरक्षण देने के कई मामले सामने आए थे।

'अस्पतालों में मरीजों को मिलें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं'

जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने शनिवार को राजधारी के जयपुरिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर जिले के प्रत्येक राजकीय अस्पताल में मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और अस्पताल परिसर में सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। ये कहना जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित का। उन्होंने आज राजधानी के जयपुरिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजपुरोहित ने अस्पताल के सभी विभागों और वार्डों का दौरा किया साथ ही मरीजों की कुशलक्षेम जानने के साथ-साथ अस्पताल की सुविधाओं और सेवाओं को लेकर फीडबैक भी लिया।

कलेक्टर राजपुरोहित ने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के विस्तार की संभावनाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन के अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जयपुरिया अस्पताल के आईपीडी ब्लॉक में लिफ्ट निर्माण के लिए 18 लाख की राशि स्वीकृत करने की अनुशंषा की, साथ ही चिकित्सालय में सुविधा विस्तार के लिए सतत सहयोग का आश्वासन भी दिया। औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ जयपुरिया अस्पताल अधीक्षक मनोज मंगल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

जयपुर में वायुसेना विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया

जयपुर के आमेर रोड स्थित वायुसेना विद्यालय के वार्षिकोत्सव ''प्रयास'' में शनिवार को महाराणा प्रताप सभागार में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किये गये।

जयपुर। आमेर रोड स्थित वायुसेना विद्यालय जयपुर का वार्षिकोत्सव ''प्रयास'' आज महाराणा प्रताप सभागार में सम्पन्न हुआ।

स्कूल मीडिया इंचार्ज घनश्याम शर्मा ने बताया कि विद्यालय प्राचार्या सीमा भाटी ने ''पुष्पगुच्छ'' भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। समारोह का प्रारंभ मुख्य अतिथि वायुसेना विद्यालय के चेयरमैन द्वारा द्वीप प्रज्वलन के साथ ही सरस्वती वंदना से हुआ। उसके बाद ''सस्टेनेबल डवलपमेन्ट '' थीम पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया । ''प्रयास'' नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई एवं पानी के अत्यधिक दुरुपयोग और पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं से दर्शकों रुबरू कराया तो सभागार तालियों की गडगडाहट से गुंजायमान हो गया। विद्यालय प्राचार्या सीमा भाटी ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के बीच में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

'ब्राह्मण भारत छोड़ो' लिखने वालों को पकड़वाने पर 50 हजार का इनाम

जयपुर, (का.सं.)। चाणक्य सेना ने जवाहर लाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के कैम्पस में ब्राह्मण, बनियों भारत छोड़ो नारा लिखने वालो को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही ऐलान किया है कि जो इन आपत्तिजनक श्लोक लिखने वालो का नाम बतायेगा उसे 50 हजार रुपये और गिरफ्तार करवाने पर 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है।

इस संदर्भ में आज पूरे देश के ब्राह्मण संगठनों ने जबरदस्त विरोध एवं आक्रोश व्यक्त किया है। चाणक्य सेना, सर्व ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण सेवा संघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, विश्व ब्राह्मण परिषद, अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ की आज ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें देशभर से संगठनो के पदाधिकारी जुड़े। बैठक की अध्यक्षता सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चाणक्य सेना के मुख्य संरक्षक पं. सुरेश मिश्रा ने की। उन्होंने कहा कि इस देश से ब्राह्मण और बनियों को देश क्यों छोड़ देना चाहिए ? क्या इस देश के लिये इन समाजों ने त्याग, तपस्या, बलिदान नहीं दिया। मिश्रा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ब्राह्मण सबके हित की बात करता है और देश की एकता और अखंडता के लिये अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। उस समाज के विषय में देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में जातिवाद इस हद तक फैल रहा है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना वाला ब्राह्मण समाज को टारगेट पर लाने वालों के लिए ऐलान किया गया है कि जो इन आपत्तिजनक श्लोक लिखने वालो का नाम बतायेगा उसे 50 हजार रुपये और गिरफ्तार करवाने पर 1 लाख रुपये देने की घोषणा की हैं।

बैठक में सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चाणक्य सेना के मुख्य संरक्षक पं. सुरेश मिश्रा, ब्राह्मण सेवा संघ विशम्भर दयाल शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के.एन. तिवारी, विश्व ब्राह्मण परिषद डॉ. के.वी. शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ के प्रवीण मिश्रा, कनाडा से डॉ. आजाद कौशिक, नरिष्यंत शर्मा, डॉ. ओम शर्मा, जितेश शुक्ला सहित कई पदाधिकारी सम्मिलित हुये।

आठ साल में भी धोखाधड़ी की जांच पूरी नहीं होने पर कोर्ट नाराज

- पुलिस आयुक्त जांच अधिकारियों की लापरवाही की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश
- जांच अधिकारी और थानाधिकारी भजनलाल को पेश होने के आदेश भी दिये

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आठ साल पहले जेडीए थाने में दर्ज धोखाधड़ी से जुड़े मामले की जांच पूरी नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस आयुक्त को कहा है कि वे तीन दिन में मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपे। वहीं अदालत ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे प्रकरण में अब तक जांच अधिकारी रहे पुलिसकर्मियों की लापरवाही की जांच कर आठ सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने सात दिसंबर को मामले में नए नियुक्त होने वाले जांच अधिकारी और थानाधिकारी भजन लाल को पेश होने के भी आदेश दिए हैं। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश राधेश्याम शर्मा की आपराधिक याचिका पर दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अनुसंधान अधिकारी की ओर से जांच में कोई रुचि ही नहीं ली गई और रिकॉर्ड से साबित है कि वह मामले में पूरी तरह निष्क्रिय बने रहे। अदालत ने कहा कि आठ साल में भी अनुसंधान पूर्ण नहीं होना अत्यंत गंभीर विषय है। इसलिए प्रकरण में पुलिस कमिश्नर को निर्देश देना जरूरी है। सुनवाई के दौरान प्रतापनगर थानाधिकारी भजन लाल की ओर से केस डायरी पेश की गई। वहीं सरकारी वकील ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर कहा कि प्रकरण में जांच की जा रही है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार लांबा ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब तक वास्तविक दस्तावेज तक जब्त नहीं किए हैं। उसके खिलाफ भूमि धोखाधड़ी को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था। ऐसे में मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाए।

इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुलिस आयुक्त को दिशा-निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को तय की है।

'कोर्ट से दस्तावेज गायब हुए तो जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होगी'

- कर्मचारी संघों की ओर से जिला और सत्र न्यायाधीशों को पत्र लिखकर कहा गया है कि कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। ऐसे में यदि इनमें से कोई सामग्री गायब होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन पीठासीन अधिकारी की ही होगी जिनके नियंत्रण में सामग्री है

जयपुर, (का.सं.)। न्यायिक अधिकारी के घर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा के आत्मदाह से जुड़े मामले में शनिवार को अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी रहा। कर्मचारी बीते 18 नवंबर से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। वहीं राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र लिखकर कहा गया है कि कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। ऐसे में समस्त स्टॉक, स्टोर, पुस्तकें, चार्जशीट और बयानों सहित अन्य दस्तावेज व कंप्यूटर का डाटा संबंधित पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में हैं। ऐसे में यदि इनमें से कोई सामग्री गायब होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन पीठासीन अधिकारी की ही होगी।

कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कई अदालतों में निजी व्यक्ति कोर्ट के कंप्यूटर डाटा से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट की गोपनीयता भंग होने के साथ-साथ बेशकीमती डाटा भी चोरी होने की संभावना है। वहीं मोबाइल कोर्ट में चालान पुलिसकर्मी जमा कर रहे हैं, लेकिन राशि को राजकोष में जमा नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में इस राशि के गबन होने की भी संभावना है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतबीर सिंह और संघर्ष समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि सामूहिक अवकाश के 16वें दिन डीजे सिटी कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट तक रैली निकाली गई। वहीं सीजे पंकज मित्थल से वार्ता के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए अब न्यायिक कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने दिल्ली जाएंगे। गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में पदस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है।

एटीएस के डीआईजी सड़क हादसे में घायल

रींगस, जयपुर (निस)। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद जयपुर से सीकर के लिए रवाना हुए एटीएस के डीआईजी अंशुमान भौमिया की गाड़ी से नील गाय टकरा जाने से वे घायल हो गये। यह हादसा रींगस में ममता होटल के सामने हुआ।

पुलिस के अनुसार राजमार्ग 52 पर रींगस में ममता होटल के सामने नील गाय सड़क पर आने से एटीएस के डीआईजी अंशुमान भौमिया की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में डीआईजी अंशुमान भौमिया की पीठ में चोट आई। इसके बाद डीआईजी अंशुमान भौमिया जयपुर के लिए रवाना हो गये।

जयपुर कलेक्ट्रेट को पेपरलेस बनाने की कवायद शुरू

- ई-फाइलिंग लागू करने वाला प्रदेश का पहला कलक्ट्रेट बना जयपुर

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर कलक्टर प्रकाश राजपुराहित ने एक और नवाचार के तहत जयपुर कलेक्ट्रेट में ई-फाइलिंग सिस्टम को लागू किया है। राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान में ई-फाइलिंग लागू करने वाला जयपुर पहला कलेक्ट्रेट होगा। कलेक्ट्रेट की संस्थापन शाखा और सामान्य शाखा से ई-फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। जल्द ही ई-फाइलिंग सिस्टम को पूरे कलेक्ट्रेट में लागू किया जाएगा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को पेपरलैस बनाने की दिशा में ई-फाइलिंग सिस्टम मील का पत्थर साबित होगा। इस फैसले से ना केवल कागज की बचत होगी बल्कि फाइलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना भी मुमकिन होगा।

जिला कलेक्ट्रेट में अभी तक राजकार्य कागज की पत्रावलियों के माध्यम से हो रहा था। जिससे ना केवल बड़ी मात्रा में कागज की खपत हो रही थी, साथ ही इन पत्रावलियों और फाइलों का सुरक्षित संधारण सुनिश्चित करना मुश्किल होता था। अब राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किये गए राजकाज सॉफ्टवेयर से सारा राजकार्य ई-फाइलिंग सिस्टम के जरिये होगा। जिसके तहत पत्रावली भौतिक ना होकर ऑनलाइन प्रारूप में होगी। राजकाज सॉफ्टवेयर पर ही पत्रावली तैयार की जाएगी और ऑनलाइन ही संबंधित अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। अधिकारी अपनी एसएसओ आईडी से लॉगइन कर पत्रावली पर कार्यालय टिप्पणी कर सकेंगे या फिर डिजिटल साइन के माध्यम से फाइल का अनुमोदन कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन ही आदेश भी जारी हो सकेंगे। ई-फाइलिंग सिस्टम लागू होने से जयपुर कलेक्ट्रेट में कार्यालय टिप्पणी से लेकर पत्रावली अनुमोदन तक की सारी प्रक्रिया पेपर लैस हो जाएगा और फाइलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।

फाइलों के फिजिकल मूवमेंट नहीं होने से पेपर, समय और मानवश्रम की बचत तो होगी ही साथ ही वर्क फ्रॉम होम और वर्क एनी वेयर, एनी टाइम की अवधारणा भी मुमकिन हो पाएगी। राजकीय कार्यों में सरलता और पारदर्शिता तो आएगी ही साथ ही पत्रावलियों का संचालन और संधारण पहले के मुकाबले और आसान हो जाएगा। सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग के ज़िला कार्यालय में भी ई-फाइल सिस्टम की शुरुआत कर दी गई।

35 सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन सहित 52 व्यक्तियों को किया सम्मानित

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को वर्ष 2022-23 में विशेष योग्यजनों के लिए स्कूटी वितरण योजना का शुभारम्भ किया।

जयपुर, (का.सं.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है तथा उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के कारण ही अलवर, राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है।

जूली शनिवार को एच. सी. एम. रीपा के भगवन्त सिंह सभागार में अर्न्तराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष योग्यजनों को आत्मसम्मान के साथ जीवन सशक्त करने तथा राज्य की प्रगति में योगदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में विशेष योग्यजनों को आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। राजकीय सेवारत विशेष योग्यजनों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी दिया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने समारोह में 35 विशेष योग्यजनों एवं 17 विशेष योग्यजनों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार से सम्मानित किया। जूली ने कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 में विशेष योग्यजनों के लिए स्कूटी वितरण योजना का शुभारम्भ किया। उन्होंने विशेष योग्यजन स्कूटी सवार के पीछे बैठे और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई।

पटवारी से सेवा परिलाभ वापस लेने का आदेश रद्द

- 25 साल पहले दिये सेवा परिलाभ को वापिस लेने का मामला

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी को पच्चीस साल पहले दिए सेवा परिलाभ को दिसंबर 2017 में वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सेवानिवृत्त पटवारी को सेवानिवृत्त परिलाभ छह फीसदी ब्याज सहित देने को कहा है। जस्टिस अशोक गौड की एकलपीठ ने यह आदेश रामस्वरूप वर्मा की याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि कर्मचारी को दिए सेवा परिलाभों को 25 साल बाद यह कहते हुए वापस लिया गया कि उसकी पे-स्केल बदल गई है। वरिष्ठ अफसरों का अपने जूनियर कर्मचारियों के साथ ऐसा करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 29 जुलाई 1983 को हुई थी। वहीं जुलाई 1992 में उसका फिक्सेशन किया गया। इसके बाद वर्ष 2002 में उसे सलेक्शन स्केल का लाभ भी दिया गया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता जुलाई 2017 में सेवानिवृत्त हो गया। इसके बावजूद विभाग ने उसको परिलाभ नहीं दिए और 21 दिसंबर 2017 को बताया कि पे स्केल बदलने के कारण उसे सेवानिवृत्त परिलाभ नहीं दे सकते। याचिका में कहा गया कि पच्चीस साल पहले दिए गए परिलाभ को अब रद्द नहीं किया जा सकता और उसके पेंशन परिलाभ भी नहीं रोके जा सकते। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 25 साल पहले दिए परिलाभ को रोकने के आदेश को रद्द कर दिया है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

भारती बाल मंदिर समिति
आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र
प्रवेश प्रारंभ Diploma in Ayush Nursing & Pharmacy में (ढाई वर्षीय) राज्य सरकार एवं राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर से मान्यता प्राप्त। योग्यता 12वीं उत्तीर्ण किसी भी विषय से। आवेदन की अन्तिम तिथि 11.12.2022 तक। पता-प्राचार्य, भारतीय बाल मंदिर समिति आयुर्वेद नर्स प्रशिक्षण केन्द्र ए-10, नया रामगढ रोड, जयपुर-2 मो.9414248835

सम्पत्ति-क्रय-विक्रय
इंद्रागांधीनगर/मालवीयनगर/सिद्धार्थ नगर/प्रतापनगर, (JLN-रोड/ रिंगरोड़), जगतपुरा/मॉडलटाउन आसपास सभी हाउसिंगबोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-रेजिडेंशियल/कमर्शियल/एग्रीकल्चर/ इण्डस्ट्रियल/ हॉस्पिटल/इन्स्टीट्यूशन्स/ फार्महाउसेस/रिसोर्ट, लेण्डस -(बेचने-खरीदने) हेतुः-भावना एंटरप्राइजेज, रियलिटी चेम्बरः-7599912345

आवश्यकता
आयुर्वेदिक कंपनी शिक्षित बेरोजगार महिलाएं, पुरूष, लडकियां, गृहणियां घर बैठे दवा पैकिंग करके 25000 से 60000/- कमाएं (एनओसी चार्ज-2150/- संपर्क करें-8420229677

सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल निजामुद्दीन पुत्र मरहूम कमरूद्दीन निवासी 3636, बाबू का टीबा मोहल्ला नहाफान रामगंज जयपुर का पुत्र मोहम्मद इमरान मेरे मुवक्किल निजामुद्दीन के कहने में नहीं है तथा दिनांक 25.03.2013 से अलग रहता है तथा अपनी मर्जी के मुताबिक जिन्दगी जी रहा है तथा मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र मोहम्मद इमरान और उनकी पत्नी नाजिया व उसके दोनों बच्चों को उसके गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है भविष्य में जो कोई व्यक्ति मोहम्मद इमरान और उसके परिवार से कोई भी संव्यवहार या लेनदेन करेगा, उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, सूचित रहे।
(दिलीप मौर्य), एडवोकेट, मो. 9664040683

नाम परिवर्तन
मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम Nootan Roy गलत दर्ज है। सही नाम Nutan Devi है। Army No. 15336518K हवलदार प्रभाष कुमार, पता 60, इंजीनियर रेजीमेंट C/o 56, APO एरिया, जयपुर

खोया पाया
मैं, दिनेश कुमार शर्मा हाल निवासी 13/351-52 मानसरोवर जयपुर व मेरा मोबाइल नंबर 9829126948 है। मेरा फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन जो कि थैली में था वह स्वर्ण पथ सब्जीमंडी पर कहीं गिर गया। अगर किसी भी व्यक्ति को मिले तो उपरोक्त मोबाइल नंबर पर सूचित करने की कृपा करें।

महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र
9829570043 चौमूं, जयपुर 9784127000
प्रवेश सूचना सत्र 2022-23
Diploma in AYUSH Nursing & Pharmacy (DAN&P)
संस्थान के आयुष नर्सिंग एण्ड फार्मेसी पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर की अंतिम काउंसलिंग के उपरान्त रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु योग्यताधारी अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
योग्यता :- 10+2 उत्तीर्ण
आयु :- 31 दिसम्बर 2022 तक 17 वर्ष
काउंसलिंग तिथि :- 17-12-2022
प्राचार्य

विवादकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा जिला-जयपुर, राजस्थान
मदनलाल बनाम जग्गा वगैरह
दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा
बनाम शिम्भू पुत्र नेता, सुशीला पत्नि प्रभू पुत्र नेता, जितेन्द्र पुत्र प्रभू पुत्र नेता, नीता, सीमा, मीना पुत्रीयान प्रभू पुत्र नेता समस्त जातियान रैगर निवासीयान अम्बेडकर नगर, बड़नगर तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान वादी ने आपके विरूद्ध वाद पंजीयन किया हैं। आपका इस न्यायालय में तारीख 12.12.2022 को दिन में 10 बजे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी वारदान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आपस उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे मे या शक्ति में है पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखि/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 25.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
उपखण्ड अधिकारी पावटा (जयपुर)